

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-4/क्षेत्रस्था0 (आवंटन)-04/2016-

(4)/रा0 पटना-15. दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय- संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के मानदेय भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2029 के तहत 2802 संविदा सेवाएँ मद में कुल-4,99,75,000.00 (चार करोड़ निनानवे लाख पचहतर हजार रू0) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-00-104- सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय 2802 संविदा सेवाएँ, माँग संख्या-40, विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. राज्य के जिलों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के पूर्व के वित्तीय वर्ष का बकाया मानदेय भुगतान हेतु जिला से प्राप्त माँग-पत्र के आधार पर संलग्न विवरणी के अनुसार राशि की स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत स्वीकृत पद के विरुद्ध संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए ही भुगतान होगा। आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिला के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकासी सम्बन्धित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2), दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी साथ ही समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार द्वारा एतत्संबंधी निर्गत परिपत्र/आदेश/निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाय।

कृ०पृ०उ०

7. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-8025 दिनांक-21.05.2013, 2401, दिनांक-18.07.2007 एवं 1718, दिनांक-06.05.2010 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जायेगा। इस राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरणी निश्चित रूप से अगले माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

अनु0-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :-

(4)/रा०, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी सम्बन्धित समाहर्ता/विभागीय प्रशाखा-5 (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

ह०/-

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।


ज्ञापांक :-

414-

(4)/रा०, पटना-15, दिनांक- 01/6/17

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ।
विभागीय वेब-साईट पर इसे प्रदर्शित कर दिया जाय।

अनु0-यथोक्त।


(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

(निदेशक पद) (निदेशक पद) (निदेशक पद)

(निदेशक पद) (निदेशक पद) (निदेशक पद)

क्र०	नाम	वर्ष	49975000
1	राजेश	2	500000
2	राजेश	2	500000
3	राजेश	2	600000
4	राजेश	2	2120000
5	राजेश	2	613000
6	राजेश	2	2897000
7	राजेश	2	679000
8	राजेश	2	685000
9	राजेश	2	2840000
10	राजेश	2	900000
11	राजेश	2	3806000
12	राजेश	2	3630000
13	राजेश	2	1327000
14	राजेश	2	614000
15	राजेश	2	546000
16	राजेश	2	570000
17	राजेश	2	500000
18	राजेश	2	1900000
19	राजेश	2	1100000
20	राजेश	2	1390000
21	राजेश	2	1100000
22	राजेश	2	792000
23	राजेश	2	1485000
24	राजेश	2	900000
25	राजेश	2	856000
26	राजेश	2	634000
27	राजेश	2	500000
28	राजेश	2	4566000
29	राजेश	2	500000
30	राजेश	2	1690000
31	राजेश	2	1295000
32	राजेश	2	1100000
33	राजेश	2	685000
34	राजेश	2	1000000
35	राजेश	2	2905000
36	राजेश	2	500000
37	राजेश	2	750000
38	राजेश	2	1000000

निदेशक पद 2029 भाग 40-40-2029001040001 भाग 2602 भाग 1-
 निदेशक पद 2017-18 में स्वीकृत राशि की विवरण निम्नलिखित है :-